

प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय-मऊ।

प्रशासनिक आदेश संख्या :- ०२

दिनांक:- 08.01.2026

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु निर्गत कैलेंडर वर्ष 2026 के नोट संख्या 03 के अनुसार जनपद न्यायाधीश को जिलाधिकारी से विचार-विमर्श कर पांच स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार नोट संख्या 07 के अनुसार यदि द्वितीय शनिवार या रविवार के दिन कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश घोषित है तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश घोषित कर सकते हैं।

जनपद न्यायालय मऊ में पांच स्थानीय अवकाश एवं वर्ष 2026 में दिनांक 15.02.2026 रविवार को महाशिवरात्री एवं दिनांक 08.11.2026 रविवार को दीपावली पड़ने के स्थान पर अतिरिक्त अवकाश घोषित किये जाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, मऊ से विचार-विमर्श एवं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन, मऊ द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात जनपद न्यायालय मऊ में कैलेंडर वर्ष 2026 हेतु निम्न अवकाश घोषित किये जाते हैं:-

स्थानीय अवकाश

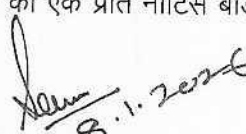
क्रम सं.	स्थानीय अवकाश/ पर्व का नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन
1.	मकर संक्रांति	15.01.2026	बृहस्पतिवार
2.	रक्षाबन्धन	28.08.2026	शुक्रवार
3.	बारावफात	05.09.2026	शनिवार
4.	महानवमी	19.10.2026	सोमवार
5.	गोबर्धन पूजा	10.11.2026	मंगलवार

अतिरिक्त अवकाश

वर्ष 2026 में द्वितीय शनिवार एवं रविवार को पड़ने वाले अवकाश				वर्ष 2026 में द्वितीय शनिवार एवं रविवार को पड़ने वाले अवकाश के स्थान पर घोषित अतिरिक्त अवकाश		
क्रम सं.	पर्व/अवकाश का नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	पर्व/अवकाश का नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन
1.	महाशिवरात्री	15.02.2026	रविवार	चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना	19.03.2026	बृहस्पतिवार
2.	दीपावली	08.11.2026	रविवार	चित्रगुप्त पुजा	11.11.2026	बुधवार

जनपद न्यायालय, मऊ के सभी न्यायालय एवं कार्यालय तथा ग्राम न्यायालय मधुबन, मऊ उपर्युक्त तिथियों को बन्द रहेंगे।

उक्त आदेश जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मऊ, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मऊ, ग्राम न्यायालय मधुबन, मऊ एवं सभी न्यायालय एवं कार्यालयों को प्रेषित किया जाए तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय।


जनपद न्यायाधीश
मऊ।

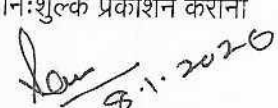
पत्र संख्या:

दिनांक:मऊ

2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, मऊ।
3. अधीक्षक, जिला कारागार मऊ।
4. अध्यक्ष/ महामंत्री सिविल सेंट्रल बार एसोसिएशन, मऊ।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, मऊ।
6. जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।


जनपद न्यायाधीश
मऊ।